बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय– सी-2, क्षिप्रा विहार,नागझिरी, देवास रोड़, उज्जैन फोन : 0734-2513606,
E-Mail- ujjain.ARD@bankofindia.co.in

परिशिष्ट – IV क (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई – नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा कॉलम (नीचे वर्णित) बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है '' के आधार पर निम्नलिखित उधार लेने वाले प्रत्याभूति–दाता से बकाया राशि (संबंद्ध कॉलम में नीचे वर्णित) की वसूली हेतु दिनांक 27.10.2026 (विक्रय की तारीख) को समय प्रातः 11.00 से दोपहर 05.00 बजे तक बेचा जाएगा, जिसका आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि संबंद्ध कॉलम में नीचे वर्णित है :

ई नीलामी दिनांक 27.10.2026, समय : सुबह 11 बजे से 05 बजे तक

क्रं.	ऋणी एवं संपति मालिक/जमानतदार का नाम मांग नोटिस, राशि दिनांक एवं कब्जा दिनांक	बंधक रखी संपति का विवरण एवं संपति के बंधककर्ता के नाम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
	बामलावे शाखा, जिला राजगढ़ (म.प्र.) फोन - शाखा प्रमुख : अभिजीत तिवारी 9955574709, E-Mail- Bamlabe.Ujjain@bankofindia.co.in (IFSC Code -BKID0009965, EMD जमा हेतु खाता क्रं. 996590200000033 Collection Account)			
01	**ऋणीः** श्री राधेश्याम दांगी पिता गंगाधर दांगी **पता :** ग्राम पढोनिया, पोस्ट कचनारिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ -465674 **मांग सूचना राशि : रू. 9,51,289.71 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च,** **सरफेसी नोटिस दिनांक :** 10.02.2026, **सांकेतिक कब्जा दिनांक :** 18.04.2026	**प्रत्याभूत अचल संपत्ति**- संपतियों के सभी अंग जो स्थित है सर्वे नं.-52/2 (पुराना नं. भूमि का भाग सर्वे नं. 52) प.ह.नं.- 9, ग्राम तलवाड़ा उर्फ चंपापुरा पंचायत-पढोनिया, ब्यावरा जिला राजगढ़ (म.प्र.), **क्षेत्रफल :** 116.17 स्के.मी.(1250 स्के. फीट) **संपत्ति स्वामी :** श्री राधेश्याम दांगी पिता श्री गंगाधर जी, **चतुःसीमा- पूर्व में :** अन्य भूमि, **पश्चिम में:** रोड़, **उत्तर में :** अन्य का मकान, **दक्षिण में :** अन्य भूमि, **दिनांक 02.07.2026 के मूल्यांकन अनुसार वास्तविक**	11.05 लाख	1.11 लाख
02	**ऋणीः** मे. कान्हा बिल्डिंग मटेरियल, प्रोपा.: श्री शिव प्रसाद दांगी पिता हजारीलाल दांगी **पता :** ग्राम बहादुरपुरा, पोस्ट ब्यावरा, जिला राजगढ़ -465674 **मांग सूचना राशि : रू. 7,15,822.74 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च,** **सरफेसी नोटिस दिनांक :** 26.11.2025, **सांकेतिक कब्जा दिनांक :** 18.02.2026	**प्रत्याभूत अचल संपत्ति**- संपतियों के सभी अंग जो स्थित है सर्वे नं.-1082/39(पुराना सर्वे नं.-1082/1), प.ह.नं.-31, वार्ड नं.-13, चंपालाल बगीचा, हाथीखाना मार्ग के पीछे, ब्यावरा, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.), **क्षेत्रफल :** 92.39 स्के.मी., **संपत्ति स्वामी :** श्री सुरेश कुमार दांगी पिता रामप्रसाद दांगी **(जमानतदार)**, **चतुःसीमा- पूर्व में :** 20 फीट चौड़ा रोड, ड्रेनेज, **पश्चिम में:** अन्य का मकान /हाथीखाना मोहल्ला, **उत्तर में :** अन्य का मकान, **दक्षिण में:** खुला प्लॉट, **दिनांक 02.07.2026 के मूल्यांकन अनुसार वास्तविक**	7.65 लाख	0.77 लाख

ई–नीलामी की शर्ते :– (1) नीलामी बिक्री/बोली केवल ऑनलाइन ईलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया https://baanknet.com वेबसाईट के माध्यम से होगी। (2) बोलीकर्ताओं से निवेदन है कि baanknet पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नियत तिथि से पूर्व करवा लेवे । (3) नीलामी की तिथि और समय 27.10.2026 सुबह 11 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक असीमित 10 मिनीट प्रत्येक ऑटो –एक्सटेंशन के साथ। (4) नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। इच्छुक बोलीकर्ता अपने ऑफर रू.50000/– (पचास हजार मात्र) के गुणाकार (multiple) में अपनी राशि बढ़ा सकते हैं। (5) इच्छुक बोलीकर्ता को पोर्टल https://baanknet.com पर अपना नाम पंजीकृत करवाना हैं और अधिक जानकारी हेतु इच्छुक बोलिकर्ता baanknet पर संपर्क करें। (6) इच्छुक बोलीदाताओ को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर में बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्ब्रेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो। प्रधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावो/अधिकारो/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (7) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी /बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हैं। प्राधिकृत अधिकारी और/या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाब देह नहीं होगा। (8) इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है वे अधिक विवरण डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट - https://baanknet.com भी देखे जहां सभी दिशा निर्देश उपलब्ध है इच्छुक बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले से पूरा करना होगा (अ) बोली कर्ताओं को मोबाईल नं. तथा मेल आईडी का उपयोग करके E-Auction पर पंजीयन करना होगा, (ब) केवाईसी सत्यापन - बोलीदाताओं को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होगे जिनका सत्यापन baanknet द्वारा किया जायेगा, (स) ईएमडी राशि को ग्लोबल EMD wallet, Online/Offline, NEFT/Transfer द्वारा जमा करना होगा, (द) इच्छुक बोलीकर्ता उपरोक्त तीनों चरण को पुरा करने के पश्चात नीलामी में भाग ले सकते हैं। (9) उच्चतम/सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिक्री समाप्त होने के 5 दिनो के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने/ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता हैं और यदि वह एकमात्र बोलीदाता हैं, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। (10) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि को मिलाकार बोली/खरीद राशि का 25 प्रतिशत बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंक अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी। (11) बोली/खरीद राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) की तिथि तक जमा करनी होगी निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नयी नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा। (12) संपूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी ब्रिकी प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावें पर विचार नहीं लेगा। (13) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली अथवा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही हैं और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छूट देने का अधिकार रखता हैं। (14) यह प्रकाशन अग्रिम में उपरोक्त उधारकर्ताओं/ग्यारंटरों /बंधककर्ताओं को 30 दिनों का नोटिस भी है। (15) TDS शासकीय देय राशि, रजिस्ट्रेशन खर्च, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि जो कोई भी राशि नियम अनुसार देय निकलती है उसका भुगतान क्रेता को करना होगा । नोट : सभी संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि दिनांक 19.10.2026 समय दोप. 12 से 4 बजे तक रहेगी।

दिनांक - 12.10.2026

प्राधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ इण्डिया, उज्जैन अंचल